

क्रमांक 801/2022,

जोबट, दिनांक 20-09-2022

// खेल सामग्री हेतु भाव पत्र आमंत्रण //

महाविद्यालय में सत्र-2022-2023 हेतु शासन से खेल सामग्री हेतु भाव पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य तथा निर्धारित फार्मेट में ही होना चाहिये। अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्रों पर विचार में नहीं लिया जावेगा तथा तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया जावेगा। भाव पत्र निम्न विवरण के साथ विभाग के वेबसाईड के प्रकाशन के 05 दिवस में महाविद्यालय में स्वयं/कोरियर/स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त भाव पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाकर भाव पत्र तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया जावेगा।

-: निर्धारित फार्मेट-खेल सामग्री कय हेतु संभावित कय सामग्रीयों की सूची :-

क्रमांक	खेलसामग्रीकानाम	दर प्रति नग/दर्जन			रिमार्क
		दर	GST	योग	
1	कबड्डीमेंट(गुडवीन1X1मीटर)				
2	टेबलटेनिसटेबल(स्टेगचेम्पीयनशिप)				
3	टेबलटेनिसबेट(किंगफूहॉट शाट)				
4	शॉटपुट7.26 kg/4 kg(आयरन)				
5	जेवलिन800 g./600 g.(वीनेक्स एल्यूमिनीयम)				
6	टेबलटेनिसबाल (स्टेग कप)				
7	क्रिकेटबेट (एस. एस./एसजी.)				
8	क्रिकेटपेड (एस. एस./एसजी.)				
9	विकेटकीपरग्लव्ज(एस. एस./एसजी.)				
10	खेलकिटटी शर्ट/शाट				
11	टेपमेजरिंग 50 मी.				
12	आरचरीसेट (रूथ इण्डिया)				
13	वेटमशीन				
14	कमर्शियलट्रेडमिल (A-1)				
15	मल्टीजिम 6 स्टेशन(A-1)				
16	हॉलीबालनिविदा 20/20				
17	फुटबालपोल (स्पोर्टीफाय)				
18	हॉलीबालपोल(स्पोर्टीफाय)				
19	खो-खोपोल(स्पोर्टीफाय)				
20	चेसबोर्ड(इन्टरनेशनल)				
21	केरमबोर्ड(सीमा/टर्बो)				

अनिवार्य शर्तें

- (1) भाव पत्र के साथ प्रचलित जीएसटी नम्बर अंकित होना अनिवार्य है। तथा सामग्री पर देय जीएसटी प्रपत्र में प्रथक से दर्शाना अनिवार्य है।
- (2) समय सीमा में प्राप्त भाव पत्र ही मान्य किये जावेगे।
- (3) प्रदाय खेल सामग्री पर केवल प्रिटेड मूल्य ही मान्य होंगे। अन्य प्रकार से संशोधित अंकित मूल्य अस्वीकार्य होंगे।
- (4) समय सीमा तथा आदेशानुसार खेल सामग्री प्रदाय नहीं करने पर आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा।
- (5) उपरोक्त दिये गये फार्मेट अनुसार ही भाव पत्र प्रदाय करें। अन्य फार्मेट में भाव पत्र अस्वीकार्य होंगे।
- (6) लिफाफे पर खेल सामग्री प्रदाय निविदा 2022-2023 अवश्य अंकित करें।
- (7) भाव पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करना तथा उपरोक्त के अलावा प्राचार्य/कय समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य बंधकारिक होगा। भुगतान ई-पेमेंट से व शासन से आवंटन प्राप्त होने पर किया जावेगा। अतः फर्म का बैंक खाता क्रमांक व आयएफसी कोड अंकित होना अनिवार्य है।
- (8) म.प्र. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2012/अ-11 दिनांक 28-7-2015 द्वारा भंडार कय एवं सेवा उपार्जन नियम-2015 के तहत स्टेशनरी आदेश प्रदाय किये जावेगे।
- (9) मात्र सामग्री भाव के कम होने की दशा में ही आदेश प्रदाय नहीं होंगे प्रदाय नमूने की गुणवत्ता एवं मूल्य की आकलन उपरान्त कयादेश दिये जावेगे।
- (10) न्याय क्षेत्र जोबट होगा।
- (11) सामग्री F.O.R. जोबट महाविद्यालय तक पहुंचवाना होगी परिवहन/हम्माली आदि व्यय संबंधित सामग्री प्रदायकर्ता को वहन करना होगी।



PRINCIPAL


Govt. Degree College
Jobat, Distt. Alirajpur (M.P.)

★ Code - 4903802003

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा म0प्र0 भौपाल

विषय :- विभाग कि वेबसाईड पर प्रकाशन हेतु निवेदन ।


(डॉ०सखाराम भुरिया)
PRINCIPAL
Govt. Degree College
Jobat, Distt. Alirajpur (M.P.)
Code - 4903802003
